

ई-मेल/  
फैक्सबिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

शशि भूषण तिवारी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
भागलपुर/मुंगेर /लखीसराय /जमुई /मुजफ्फरपुर/  
बेगुसराय /पूर्वी चम्पारण एवं समस्तीपुर।

पटना-15 दिनांक-.....

विषय :- मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0002- हाट बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701-लघु कार्य मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 2,33,07,288/- (दो करोड़ तेतीस लाख सात हजार दो सौ अठासी) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-459(9)/रा0 दिनांक-28.07.2015 के आलोक में राज्य में आयोजित प्रमुख श्रावणी मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत राशि कुल 2,33,07,288/- (दो करोड़ तेतीस लाख सात हजार दो सौ अठासी) रूपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	श्रावणी मेला-2015, भागलपुर।	58,00,000/- (अठान्न लाख)	58,00,000/- (अठान्न लाख)
2	श्रावणी मेला-2015, मुंगेर।	45,01,288/- (पैंतालीस लाख एक हजार दो सौ अठासी)	45,01,288/- (पैंतालीस लाख एक हजार दो सौ अठासी)
3	श्रावणी मेला-2015, लखीसराय।	18,00,000/- (अठारह लाख)	18,00,000/- (अठारह लाख)
4	श्रावणी मेला, जमुई।	10,00,000/- (दस लाख)	10,00,000/- (दस लाख)
5	बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर श्रावणी मेला-2015, मुजफ्फरपुर।	23,00,000/- (तेईस लाख)	23,00,000/- (तेईस लाख)
6	बाबा दुधनाथ महादेव मंदिर श्रावणी मेला-2015, मुजफ्फरपुर।	13,00,000/- (तेरह लाख)	13,00,000/- (तेरह लाख)
7	बाबा हरगिरिधाम श्रावणी मेला-2015, बेगुसराय।	43,76,000/- (तेतालीस लाख छिहत्तर हजार)	43,76,000/- (तेतालीस लाख छिहत्तर हजार)
8	अरेशाज श्रावणी मेला-2015, पूर्वी चम्पारण।	2,30,000/- (दो लाख तीस हजार)	2,30,000/- (दो लाख तीस हजार)
9	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला-2015, समस्तीपुर।	20,00,000/- (बीस लाख)	20,00,000/- (बीस लाख)
		कुल 2,33,07,288/- (दो करोड़ तेतीस लाख सात हजार दो सौ अठासी) रूपये मात्र।	कुल 2,33,07,288/- (दो करोड़ तेतीस लाख सात हजार दो सौ अठासी) रूपये मात्र।

2. उपर्युक्त राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जाएगी।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 (वि0)(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्र सं0-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर माँग संख्या इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

कृ०पृ०उ०

5. वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजटीय उष्बंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषय शीर्ष में प्रावधानिक राशि से किया जा सकता है।

6. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के सातवी तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

8. आवंटित राशि की निकासी के बाद इसका व्यय राजस्व विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित पदाधिकारी समाहर्ता/ अपर समाहर्ता/ सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता/अंचल पदाधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/ विभागीय प्रशाखा-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-.....26-5...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....29.7.15.....

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26  
29/7/15

(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के विशेष सचिव।